(अंक-1)

आशुलिपि पत्रिका

स्पीडी शार्टहैंड की प्रस्तुति

विधि प्रतिलेखन

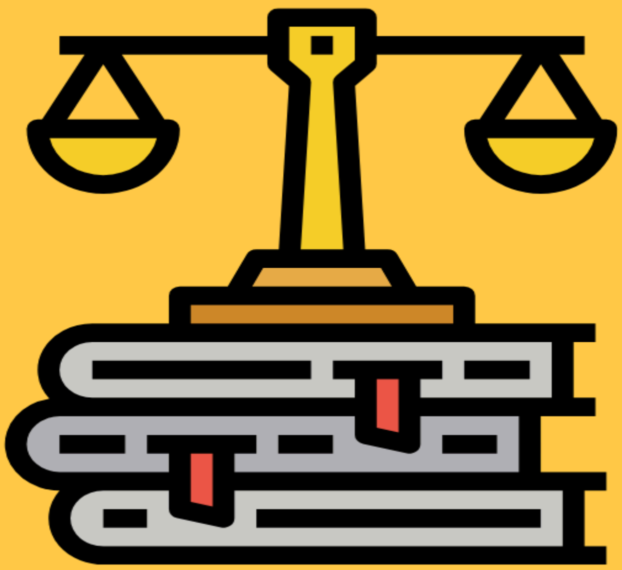

- उच्च गति अभ्यास
- सभी न्यायालय स्टेनो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
- विविध निर्णय आधारित मैटर
- विविध गति डिक्टेशन (75-120 WPM), टाइपिंग व मॉक टेस्ट के लिंक के साथ

SPEEDY SHORTHAND

Learn and Practice Hindi Shorthand

Shorthand, or stenography, is a valuable skill that can significantly improve your typing speed and...

SpeedyShortHand /

प्रतिलेखन-1

वर्तमान मामले में याचिकाकारी 10 नवम्बर, 20005 को फाईल की गई थी किंतु यह याचिका आदेश सुनवाई के लिए तारीख 14 नवम्बर 2005 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। याची संख्या 2 को तारीख 9 नवम्बर 2005 को गिरफ्तार किया गया था। अत: जब न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार किया गया तब तक निरूद्ध व्यक्ति पहले ही सिविल कारागार से छूट चुका था। याचिका में कोई वाद हेतुक नहीं रह गया था। अत: अवैध निरोध के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए फाईल संशोधन आवेदन इस आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य है कि जब तारीख 14 नवम्बर, 2005 को याचिका आदेश के लिए प्रस्तुत की गई तब तक निरूद्ध व्यक्ति को पहले ही छोड़ा जा चुका था। और संशोधन पर इस कारण विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वाद हेतुक पहले ही समर्थ हो गया था। यदि बहस के लिए यह मान भी लिया जाये कि याचिका उस समय ग्राह्य थी जब आदेश के लिए उसे प्रस्तुत किया गया था तब भी प्रतिकर का दावा करने के लिए संशोधन आवेदन इस आधार पर अनुज्ञात नहीं किया जा सकता कि निरूद्ध व्यक्ति के पास न्यायालय फीस का संदाय करने के पश्चात प्रतिकर के लिए वाद फाईल करने का समान उपचार उपलब्ध था। और इसलिए वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस रिट अधिकारिता का अवलंब लेना उचित नहीं है। याचिओं कें विद्यवान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए मामले अवैध अभिरक्षा में यातना से संबंधित थे। किंतु वर्तमान मामले में ऐसा कोई परिस्थितिजन्य कारण नहीं आया। याची को मात्र वसूली मांगों के अनुसरण में सिविल कारागार में निरूद्ध किया गया था और उसे उसकी गिरफ्तारी से अगले दिन ही छोड़ दिया गया था। जब प्रत्यर्थीयों को यह पता चला कि मांग सूचनाओं कें प्रवर्तन को रोक लगाने वाला आदेश पारित कर दिया गया है।

संपूर्ण साक्ष्य तथा तथ्यों पर विचार करने के पश्चात और कानूनी स्थिति की समीक्षा करने के उपरांत हम इस मत पर आये है कि अभियुक्तगण को चौहान की मृत्यु कारित करने के अपराध के लिए धारा 304 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता सहपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 5-5 वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश एवं 10-10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित होगा।

प्रतिलेखन-2

अभियुक्त चेक राशि एवं न्यायालय द्वारा संगणित ब्याज और प्रतिकर राशि न्यायालय में जमा जमा करने हेतु तत्पर था, तब माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने व्यक्त किया है कि यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा संगणित प्रतिकर ब्याज राशि विचारण के दौरान जमा कर देता है तो न्यायालय वह राशि जमा हो जाने पर धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही रोक सकता है जिसका परिणाम उन्मुक्ति होगा। इस प्रकरण में ऐसी स्थिति प्रकट नहीं होती है। ब्याज राशि भी अभियुक्त ने न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के पश्चात निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार जमा की है। विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी और निर्णय पारित हो चुका था। ऐसी स्थिति में धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही संभव नहीं है। अत: तथ्य भिन्न होने से यह न्यायदृष्टांत अभियुक्त को सहायक नहीं है। इस न्यायालय में पुनरीक्षण के आधार यह दिए गए है कि अभियुक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है और आवेदक वादी साक्षी उक्त वाहन का मुक्तारनामा होने के नाते संचालन कर रहा था। आवेदक अनाज का व्यापारी है और वह अनाज को बाजार से क्रय कर विक्रय करने के लिए ले जा रहा था। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अनाज की क्रय रशीदे प्रस्तुत की थी। इन तथ्यों पर विचारण न्यायाल ने ध्यान ना देकर त्रुटि की है विचारण न्यायालय ने अपराध की पुनरावृत्ति के आधार पर आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही प्रारंभ कर देने के आधार पर विचारण न्यायालय ने आवेदन निरस्त किया है, जबकि खाद्रय एवं अनाज प्रतिशेध अधिनियम एवं जप्ती निवारण अधिनियम में राजसात किए जाने की कार्यवाही की सूचना मिलने पर न्यायिक दण्डाधिकारी के सुपुर्दगी संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। वाहन थाने में खुले में पढ़ा है, जिसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अत: पुनरीक्षण स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने एवं उक्त वाहन पुनरीक्षकर्ता को सुपुर्दगी में दिए जाने की मांग की गई है। निरीक्षणकर्ता के विद्यवान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपी के अनुसार यह स्थिति सपष्ट है कि खादय एवं अनाज प्रतिशेश अधिनियम के अंतर्गत आवकारी अधिनियम के अनुरूप ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन के राजसात की कार्यवाही प्रारंभ कर देने की सूचना मिलने पर न्यायिक दण्डाधिकारी को अंतरिम सुपुर्दगीनामा पर वाहन देने का अधिकार नहीं रहता है परंतु इस प्रकरण में विद्यवान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा आवेदक का सुपुर्दगीनामा आवेदन इस आधार पर निरस्त नहीं किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन के राजसात की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी

प्रतिलेखन-3

आवेदक के द्वारा यह क्लेम याचिका मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप स्थाई निर्योग्यता उत्पन्न होने के आधार पर कुल दो लाख रूपए प्रतिकर दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। आरोपी पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 363 एवं 366 एवं पास्कों एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 26 फरवरी 2015 को शाम 4 बजे ग्राम इंदौर से अभियोत्री को उसकी विधिपूर्ण व्यपहरण अथवा विवाह के लिए विवश किया। एवं उसके साथ बार-बार बलात्संग किया एवं अभियोत्री को भगाकर ले जाकर लैंगिंक हमला कारित किया। न्यायदृष्टांत विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2007 एवं में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां जप्तीकर्ता अधिकारी ने इस तथ्य को साबित नहीं किया कि कैसे जुआं खेला गया, जुएं के खेलने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई, केवल कुछ पर्ची एवं करेंसी नोट अभियुक्त के कब्जे से जप्त किए गए। स्वतंत्र साक्षी पक्ष विरोधी हुए उनसे जप्ती साबित नहीं हुई। शेष पुलिस साक्षी जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी के सहायक थे ऐसे में धारा 4 के मामले में प्रमाणित नहीं माना गया। सार्वजनिक द्रूत अधिनियम की धारा 4 के अनुसार खेल के अन्य रूप से संबंधित अंको और तस्वीरों को मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करने के लिए दण्ड जो कोई खेल के किसी अन्य रूप को किसी शीर्ष के चाहे जो कुछ भी हो अधीन अथवा किसी रूप की युक्ति को स्वीकार करके किसी अंकों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों अथवा ऐसी किसी भी दो अथवा ऐसे अंकों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों अथवा उनमें से किन्हीं दो अथवा दो अथवा उससे अधिक के संयोजन से संबंधित सूचना को आत्मसात करेगा। अथवा आत्मसात करने का प्रयत्न करेगा। आत्मसात करने का दुष्प्रेरण करेगा ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा। और ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपए कि सीमा तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। केस डायरी का अवलोकन किया गया। आरोपीगण से उनकी गिरफ्तारी के संबंध में पूछा गया। आरक्षीकेन्द्र कोतवाली द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किए जाने की सूचना दिए जाने का उल्लेख किया गया तथा आरोपीगण द्वारा भी उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को होना बताया। संबंधित अपराध में विहित अवधि के दौरान चालानी कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड दिनांक 29 जनवरी 2016 तक स्वीकार किया जाता है। उक्त दोनों आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर जेल वारंट द्वारा केन्द्रीय जेल भेजा जावे। आरक्षी केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी अभियोग पत्र प्रस्तुति की कार्यवाही संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

प्रतिलेखन-4

अभियोजन पक्ष कथन के अनुसार, हमलावरों का मुखिया अपीलार्थी रघुवीर सिंह मोतीसिंह की हत्या की घटना कारित करने के लिए घटन स्थल पर निहत्था गया था। उसने वहां पड़ी हुई एक ताडी उठाई और इससे मोतीसींग पर बार किया। यह बात उचित नहीं लगती है कि हमलावरों का मुखिया, रघुवीर सिंह हत्या कारित करने के लिए निहत्था गया था। इससे घटना स्थल पर उसकी मौजुदगी संदेहास्पद हो जाती है। अभियुक्त द्वारा लिया गया चाकू और अभियुक्त द्वारा ली हुई छड़ी घटना स्थल से रक्त रंजित अवस्था में बरामद किए गए थे। कोई भी अपराधी घटना स्थल पर अपने आयुध को छोड़ने की भूल नहीं करेगा। अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या 13 थी। यहां अजीब बात है कि उनके पास मोतीसिंह को अनावश्यक रूप से गांव ले जाने के लिए तो पर्याप्त समय था किंतु अपने ही आयुधों को उठाने का उनके पास समय नहीं था। अपीलाथियों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था जिसकी वजह से उन्हें घटना स्थल पर अपने आयुधों चाकु और छड़ी को घटना स्थल पर छोड़ दिया था, ना तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और ना ही इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। इससे भी अभियोजन के वृत्तांत पर संदेह पैदा होता है। कुल्हाड़ी अभियुक्तों की नहीं थी और यह घटना स्थल से बरामद भी नहीं हुई थी। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इसे अभियुक्तों में से किसी अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था। किसी भी साक्षी ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह कुल्हाड़ी कहा चली गई। कुल्हाड़ी के गुम हो जाने की बावत् कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना अभियोजन के विरूद्ध जाता है। हमारे मत में अभियोजन अपीलार्थीगण के विरूद्ध अपना केस अर्थात पक्ष कथन युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय साक्षी है। उनके द्वारा अभियुक्तगण को झूठे एवं मिथ्या रूप से फसाने का कोई कारण नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों कें साक्ष्य में सामजस्य है। मात्र साक्षी संख्या 1 गुलाब चौहान ने भाले वाले तीसरे अभियुक्त का नाम सतीश के स्थान पर अंबिका बता दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जुबान की त्रुटि से वह ऐसा कह गया। साक्षी क्षतिग्रस्त था। अन्य सभी साक्षियों ने तीसरे भाले वाले अभियुक्त का नाम सतीश ही बताया है। साक्षी गुलाब चौहान की उपरोक्त त्रुटि नजरअंदाज किए जाने योग्य है। उनके साक्ष्य व चिकित्सकीय साक्ष्य में भी सामजस्य है।

प्रतिलेखन-5

मुझे खेद है कि मैं उपर्युक्त दलीलों से सहमत नहीं हो सकता। अभियोजन साक्षी 3 ने जो उसकी माता है, दृणतापूर्वक न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्धपि वह जीवन से उदासीन थी क्योंकि उसके कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सका था। तथापि इस बात ने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके अतिरिक्त उसकी गर्भधारण की अक्षता ऐसी जल्दबाजी में आत्महत्या करने के लिए तुरंत प्रकोपन गठित नहीं कर सकती। इसके प्रतिकूल उसकी चाची के मकान में घटित घटना से जैसा कि अभियोजन साक्षी चार और पांच ने बताया है स्पष्टत: यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त उसकी तलाश में अभियोजन साक्षी 5 के मकान तक आया था और उसने उससे वहां मिलने के पश्चात मकान के पिछले भाग में झगड़ा किया था। वह उस मकान में अपनी चाची की जो अभियोजन साक्षी 5 की माता थी, मृत्यु पर चालीसवीं के समारोह में आई थी। अभियुक्त अपनी पत्नि से जो उस मकान में खाना तक नहीं खा सकी। झगड़ा करने के पश्चात उसे उस मकान से घसीटते हुए ले गया था। यह घटना अभियोजन साक्षी 4 और अभियोजन साक्षी 5 ने देखी थी। अभियोजन साक्षी 5 ने उसको अपने मकान में वापस आने और तत्पश्चात खाना खाकर जाने के लिए कहा था उसने रास्ते में यह देखा कि अभियुक्त और उसके बीच झगड़ा हो रहा है और अभियुक्त बल पूर्वक उसकी खाली चैन छीन रहा था यह घटना एएलपी स्कूल के निकट हुई थी घटना उसके मकान के रास्ते में हुई थी और उसने स्कूल अहाते में स्थित कुएं में कूंदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी अभियुक्त ने अपनी पत्नि के आत्म हत्या करने के आचरण के बारे में जानकारी होने पर साक्ष्य बनाने के लिए मकान की खिड़की से जिस पर किवाड़ नहीं था। मेज पर खाली चेन अर्थात मंगल सूत्र फेंक दी। अभियुक्त द्वारा ऐसा स्वयं को बचाने के लिए और निदोष साबित करने के लिए किया गया था। यदि किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किए जाने पर कोई साक्षी शमन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और न्यायसंगत कारण के बिना उस स्थान पर या समय पर हाजिर होने में उपेक्षा या हाजिर होने से इंकार करता है। अथवा उस स्थान से, जहां उसे हाजिर होना है, उस समय से पहले चला जाता है जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण है और जिस न्यायालय के समक्ष उस साक्षी को हाजिर होना है उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे साक्षी का संक्षेपत: विचारण किया जाये तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकता है। और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्यों ना उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जाये। अवसर देने के पश्चात उसे 100 रूपए से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश दे सकता है।

प्रतिलेखन-6

उक्त मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य में कुटुम्ब न्यायालय न्यायाधीशों के 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था. इस विज्ञापन में नियुक्ति के लिए विधारण किए जाने योग्य योग्यता और साथ ही कतिपय सेवा शर्तों के बाबत अनेक शर्ते समाविष्ट थीं । चयनित अभ्यर्थियों को कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उनमें से कुछ को कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त मामले के याचियों ने दलील दी कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश "न्यायिक पद" धारित करते हैं और वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और इस प्रकार बाम्बे उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिये विचारित किए जाने के लिए हकदार हैं। इस दलील को स्पष्ट करते हुए यह दलील दी गई कि कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति कानूनी नियमों के अंतर्गत होती है, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य और दायित्व सिटी सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के समान होते हैं और संक्षेप में वे किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति समान कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होती है।

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कुटुम्ब न्यायालय सही अर्थ में अधिकरण होता है, जो राज्य द्वारा उसके संविधान के अंतर्गत संपोषित सिविल अधिकारिता के न्यायालयों का राज्य की न्यायिक शक्ति के प्रयोजनार्थ सामान्य पदानुक्रम का भाग होता है। यह न्यायालय राज्य के सभी न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं सिवाय उनके उनकी अधिकारिता से पृथक् कर दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त मामले में मताभिव्यक्ति पर जोर दिया कि 1984 के अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट में मामले के संबंध में सिविल न्यायालयों और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता को विनिर्दिष्ट रूप से पृथक् कर दिया गया था, इसलिए इस बात का भी आवश्यक रूप से यह अर्थ निकलता है कि कुटुम्ब न्यायालयों को केवल धारा 7 (1) के "स्पष्टीकरण" में विनिर्दिष्ट मामलों पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है । कुटुम्ब न्यायालयों को स्थापित किए जाने में विधान-मंडल के उद्देश्य को स्पष्टतः समझे जाने के प्रयोजनार्थ विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया गया जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि न्यायालय कुटुम्ब से संबंधित विवादों पर विचार करते समय ऐसा दृष्टिकोण अंगीकृत करेंगे जो सामान्य सिविल न्यायालयों में अंगीकृत दृष्टिकोण से पूर्णतया भिन्न होगा और उनको विचारण के आरंभ के पूर्व शांतिपूर्वक निपटारे के लिए युक्तिसंगत प्रयास करने होंगे।

प्रतिलेखन-7

राज्य बनाम अजय शर्मा, विशेष आपराधिक अपील संख्या 2024, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय न्यायमूर्ति आर.के. मेहरा द्वारा पारित, निर्णय दिनांक 04 फरवरी 2025, अपीलकर्ता, अजय शर्मा, ने भारतीय दंड संहिता, 1860, की धारा 302, और 307, के तहत दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, अपीलकर्ता का तर्क है कि सत्र न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सम्यक् विश्लेषण नहीं किया गया, और उन्हें अनुचित रूप से दोषी ठहराया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने यह दलील दी कि सत्र न्यायालय का निर्णय विधि-सम्मत है, और अपीलकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया कि दिनांक 15 जुलाई 2023, अजय शर्मा ने अपने पड़ोसी संजय वर्मा पर जानलेवा हमला किया, और चाकू से गंभीर चोटें पहुँचाईं, जिससे संजय वर्मा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, इस मामले में, प्रमुख गवाह, चश्मदीद साक्ष्य, और फॉरेंसिक रिपोर्ट, सभी अभियोजन के पक्ष में थे, उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1832, की धारा 60, और 61, के अंतर्गत साक्ष्यों की स्वीकार्यता की जाँच की, तथा यह पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण, विश्वसनीय और निर्णायक थे, अपीलकर्ता के बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि घटनास्थल पर रोशनी कम थी, और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान विरोधाभासी थे, परंतु न्यायालय ने यह पाया कि मुख्य गवाहों के बयान एक-दूसरे से मेल खाते हैं, और फॉरेंसिक साक्ष्य भी अभियोजन के दावे की पुष्टि करते हैं, इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान, 1950, के अनुच्छेद 21, के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, परंतु जब कोई व्यक्ति विधि के विरुद्ध कार्य करता है, और किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को समाप्त करता है, तो उसे विधि के अनुसार दंडित किया जाना आवश्यक होता है, न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय दिया कि सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा उचित है, और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने यह भी माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार, सजा का उद्देश्य न केवल दोषी को दंड देना है, बल्कि समाज में विधि के प्रति सम्मान बनाए रखना भी आवश्यक है, इसलिए उच्च न्यायालय इस अपील को अस्वीकार करता है, और सत्र न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखता है, आदेशानुसार, न्यायमूर्ति आर.के. मेहरा, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

प्रतिलेखन-8

राज्य बनाम सुमित वर्मा, विशेष दीवानी अपील संख्या दो हजार चौबीस, उच्च न्यायालय, प्रयागराज, माननीय न्यायमूर्ति संजय त्रिपाठी द्वारा पारित, निर्णय दिनांक चार फरवरी दो हजार पच्चीस, अपीलकर्ता, सुमित वर्मा, ने संपत्ति विवाद से संबंधित सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, अपीलकर्ता का तर्क है कि सत्र न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सम्यक् परीक्षण नहीं किया गया, और उनके वैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है, जबकि प्रतिवादी, राजीव शर्मा, का कहना है कि संपत्ति का स्वामित्व उनके पक्ष में प्रमाणित है, और अपीलकर्ता का दावा निराधार है, इस मामले में, विवादित संपत्ति एक आवासीय भवन है, जो अपीलकर्ता के पिता द्वारा निर्मित किया गया था, अपीलकर्ता का दावा है कि उनके पिता ने मौखिक वसीयत के माध्यम से यह संपत्ति उन्हें दी थी, परंतु प्रतिवादी का तर्क है कि संपत्ति की कानूनी रजिस्ट्री उनके नाम पर है, और यह लेन-देन विधि सम्मत था, उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अठारह सौ बत्तीस, की धारा इकसठ, और बयालीस, के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जाँच की, और यह पाया कि अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए मौखिक साक्ष्य, पर्याप्त नहीं हैं, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उन्नीस सौ पच्चीस, की धारा तिरपन, के अनुसार, कोई भी संपत्ति हस्तांतरण, विधिवत लिखित वसीयत के बिना मान्य नहीं होता है, इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान, अनुच्छेद चौदह, के तहत सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, और कोई भी व्यक्ति, केवल मौखिक दावे के आधार पर, संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता, न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ता ने इस विवाद को लेकर कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, और केवल पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया, इसके अलावा, भारतीय संपत्ति अधिनियम, उन्नीस सौ बत्तीस, की धारा चौवन, और पचपन, में यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति का स्वामित्व तभी हस्तांतरित होता है, जब उसका विधिवत पंजीकरण किया गया हो, इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि-सम्मत था, और उसमें किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संपत्ति संबंधी विवादों में, केवल प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित दावे स्वीकार्य होंगे, और मौखिक दावों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अमान्य माना जाएगा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, दस्तावेजी प्रमाणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और संपत्ति विवादों में विधिक मानकों का पालन अनिवार्य है, इसलिए उच्च न्यायालय इस अपील को अस्वीकार करता है, और सत्र न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखता है, आदेशानुसार, न्यायमूर्ति संजय त्रिपाठी, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।

प्रतिलेखन-9

माननीय न्यायाधीश महोदय, प्रस्तुत वाद में वादी पक्ष द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसके परिणामस्वरूप वादी को आर्थिक तथा मानसिक क्षति हुई है। वादी का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच दिनांक 01 जनवरी 2025 को एक वैध अनुबंध संपन्न हुआ था, जिसके अनुसार प्रतिवादी को निर्धारित 06 माह की अवधि में अपना दायित्व पूरा करना था। लेकिन प्रतिवादी ने अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिससे वादी को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी। इस संबंध में वादी ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अनुबंध की मूल प्रति, बैंक लेनदेन का विवरण तथा संबंधित पत्राचार शामिल है। वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 के अनुसार, यदि कोई पक्ष अनुबंध के किसी भी अनिवार्य घटक का उल्लंघन करता है, तो अन्य पक्ष को हर्जाना पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। अधिनियम के अनुसार, यदि किसी पक्ष की लापरवाही के कारण दूसरे पक्ष को आर्थिक नुकसान होता है, तो हर्जाना उसी आधार पर तय किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने बचाव में यह तर्क दिया गया है कि अनुबंध में उल्लिखित कुछ शर्तें परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं की जा सकीं और इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वादी को हुए किसी भी नुकसान की पूर्ति के लिए मध्यस्थता का विकल्प पहले ही प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वादी ने इस पर सहमति नहीं दी। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी के अनुसार, अनुबंध में कोई ऐसी बाध्यकारी शर्त नहीं थी, जिसका उल्लंघन आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आए। अधिवक्ता महोदय ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को ध्यानपूर्वक देखा जाए और इस तथ्य को स्वीकार किया जाए कि प्रतिवादी की लापरवाही से अनुबंध का उल्लंघन हुआ है। वादी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उसे 5 लाख रुपये की हर्जाने की राशि तत्काल प्रदान की जाए, ताकि उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। माननीय न्यायालय, प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर, इस मामले का निष्पक्ष निर्णय देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय सही पक्ष के पक्ष में किया जाए। न्यायालय सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस विवाद का निपटारा विधि अनुसार करेगी।

प्रतिलेखन-10

राज्य बनाम नीरज मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त नीरज ने दिनांक 5 जुलाई 2025 को रोहिणी के बुध विहार क्षेत्र स्थित एक आवासीय परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर वहाँ से आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएँ चोरी कीं। शिकायतकर्ता द्वारा की गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिनसे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त नीरज घटनास्थल पर उपस्थित था और चोरी की वारदात में संलिप्त था। सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त को घर में प्रवेश करते और चोरी करते हुए देखा गया, जबकि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में घटनास्थल से मिले निशान अभियुक्त के फिंगरप्रिंट से मेल खाते हैं। चोरी किया गया सामान अभियुक्त के पास से बरामद किया गया, जो अपराध में उसकी संलिप्तता को और अधिक पुष्ट करता है। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त पहली बार इस प्रकार के अपराध में संलिप्त पाया गया है और वह गरीब पृष्ठभूमि से है, इसलिए उसे न्यूनतम दंड दिया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चोरी का अधिकतर सामान बरामद कर लिया गया है, जिससे शिकायतकर्ता को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। इस न्यायालय का मत है कि चोरी जैसे अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यद्यपि अभियुक्त की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है, परंतु यह तथ्य नहीं बदला जा सकता कि उसने एक सुनियोजित अपराध किया है। समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के उद्देश्य से इस न्यायालय का यह दायित्व है कि वह उचित और निष्पक्ष निर्णय प्रदान करे। अभियुक्त नीरज को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया जाता है, जो पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। अभियुक्त को यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। इस आदेश के अनुसार, अभियुक्त को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उसे निर्धारित अवधि के लिए कारावास भेजा जाए।

प्रतिलेखन-11

इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और विधिक तर्कों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से परे सिद्ध हुए हैं और अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष ने जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, वे परस्पर मेल खाते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गवाहों के बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं पाया गया, और फोरेंसिक रिपोर्ट, चिकित्सीय प्रमाण तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के दावों की पुष्टि करते हैं। यह स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त ने अपने आपराधिक कृत्य से पीड़ित के जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 120-बी के अंतर्गत अभियुक्त का अपराध सिद्ध होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे विधि द्वारा निर्धारित दंड मिलना अनिवार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत किए गए साक्ष्य न्यायालय द्वारा स्वीकार्य और विश्वसनीय पाए गए हैं। अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित हो चुकी है और ऐसे मामलों में, जहाँ अपराध की गंभीरता समाज पर व्यापक प्रभाव डालती है, दया या नरमी दिखाना उचित नहीं होगा। अतः यह न्यायालय अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाता है तथा धारा 307 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित करता है। यदि अभियुक्त द्वारा यह आर्थिक दंड अदा नहीं किया जाता, तो उसे अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने और उनके पुनर्वास हेतु यह न्यायालय राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में पाँच लाख रुपये प्रदान करे, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। यह मुआवजा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। यह न्यायालय यह भी निर्देश देता है कि अभियुक्त को अपने बचाव के सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। इस न्यायालय का यह आदेश विधि और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य समाज में विधि के शासन की प्रतिष्ठा को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति, जो कानून का उल्लंघन करता है, वह दंड से बच न सके। आदेश दिया गया।

प्रतिलेखन-12

राज्य बनाम राजेश वर्मा के संदर्भ में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत दर्ज मामला न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 5 मार्च 2024 को अभियुक्त राजेश वर्मा ने मृतक संजय मेहरा के साथ आपसी विवाद के चलते गुस्से में आकर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे संजय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद अभियुक्त ने शव को छुपाने के लिए पास के खेत में फेंक दिया और हथियार को नाले में फेंककर सबूत मिटाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा प्राप्त प्राथमिकी, चश्मदीद गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और अभियुक्त के कबूलनामे के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। अभियोजन पक्ष ने चार गवाह प्रस्तुत किए। मुख्य गवाह रामकिशोर ने बताया कि उसने अभियुक्त को मृतक के साथ विवाद करते देखा था और हत्या के बाद अभियुक्त को भागते हुए पाया। फोरेंसिक रिपोर्ट से यह भी प्रमाणित हुआ कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव अभियुक्त के घर से बरामद हथियार से मेल खाते हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और अभियुक्त को झूठा फँसाया गया है। परंतु गवाहों के बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं पाया गया। अभियुक्त के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे मृतक के डीएनए से मेल खाते हैं। सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर हत्या की। धारा 302 के तहत अभियुक्त दोषी पाया गया। साथ ही साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रयास में धारा 201 के तहत भी अभियुक्त का अपराध सिद्ध हुआ। न्यायालय का कर्तव्य है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उचित दंड दिया जाए। हत्या एक जघन्य अपराध है जो समाज में भय और असुरक्षा फैलाता है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अभियुक्त के प्रति नरमी बरतना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। अतः अभियुक्त राजेश वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अतिरिक्त धारा 201 के तहत अभियुक्त को पाँच वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस निर्णय से अभियुक्त को अपील का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय आशा करता है कि यह सजा समाज में एक सख्त संदेश देगी और भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी। आदेशानुसार अभियुक्त को हिरासत में लेकर दंडादेश का पालन कराया जाए।

प्रतिलेखन-13

अदालत के समक्ष प्रस्तुत इस मामले में, वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर संपत्ति संबंधी विवाद में अवैध रूप से कब्जा किया, और उसकी अनुमति के बिना जमीन पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। वादी के अनुसार, उक्त भूमि उसकी पैतृक संपत्ति है, जिसका उसे वैध अधिकार है। वादी ने संपत्ति के स्वामित्व के समर्थन में रजिस्ट्री दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड, एवं राजस्व विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। वादी का तर्क था कि प्रतिवादी को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से चेतावनी दी गई, परंतु उसने निर्माण कार्य बंद नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, वादी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। प्रतिवादी ने अपने बचाव में कहा कि वह इस संपत्ति का वास्तविक मालिक है, और वादी का दावा निराधार है। प्रतिवादी के अनुसार, उसने उक्त भूमि एक वैध बिक्री अनुबंध के माध्यम से खरीदी थी, एवं खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया कानूनी रूप से संपन्न हुई थी। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि वादी का मामला दुर्भावना से प्रेरित है, और संपत्ति पर वर्षों से प्रतिवादी का कब्जा रहा है। प्रतिवादी ने कब्जे के समर्थन में बिजली, पानी के बिल, एवं संपत्ति कर रसीदें प्रस्तुत कीं। अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री दस्तावेज विधिसम्मत थे, एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी वादी का नाम स्वामी के रूप में अंकित था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बिक्री अनुबंध में कुछ अनियमितताएं पाई गईं, जिससे उसके दावे की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। अदालत ने प्रतिवादी के कब्जे को अवैध करार देते हुए कहा कि बिना विधिक अधिकार के किसी की संपत्ति पर कब्जा करना कानूनन अपराध है। अदालत ने भारतीय संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम एवं संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए प्रतिवादी को उक्त भूमि खाली करने का आदेश दिया। साथ ही, वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपये की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए, ताकि उसे हुई मानसिक परेशानी एवं आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्रतिवादी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो वादी स्थानीय प्रशासन की सहायता लेकर कब्जा प्राप्त कर सकता है। न्यायालय ने पक्षकारों को सलाह दी कि वे आपसी सहमति से मामलों का समाधान खोजें, ताकि अनावश्यक अदालती प्रक्रिया में समय एवं संसाधनों की बर्बादी न हो। इस फैसले से न्यायालय को उम्मीद है कि संपत्ति संबंधित विवादों में लोग वैध दस्तावेजों के आधार पर ही दावे करेंगे, एवं कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे।

प्रतिलेखन-14

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर एक ही स्थान पर तैनाती के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में यद्यपि एक ही स्थान पर तैनाती पर विचार किया जा सकता है, यह कोई अनिवार्य अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी की एक स्थान पर तैनाती तभी संभव है जब इससे प्रशासनिक आवश्यकताओं को कोई हानि न पहुंचे। इस संदर्भ में न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, हालांकि दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित याचिकाकर्ताओं के मामलों पर पुनर्विचार का आदेश दिया। मामले में सैकड़ों सहायक अध्यापकों ने 36 याचिकाएं दाखिल की थीं, जिनमें उन्होंने दावा किया कि उनके जीवनसाथी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी, विद्युत वितरण निगम, एनएचपीसी, भेल, इंटरमीडिएट कॉलेज, पावर कॉर्पोरेशन और बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं की तैनाती उनके जीवनसाथियों से अलग जिलों में थी जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा था। कई याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनाती के कारण न केवल उनका पारिवारिक जीवन बाधित हुआ है बल्कि बच्चों की शिक्षा और देखभाल में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने 2 जून 2023 को जारी शासनादेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि जिन अध्यापकों के पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं उन्हें अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। हालांकि 16 जून 2023 को जारी एक अन्य शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि सरकारी सेवा में केवल उन्हीं कर्मचारियों को माना जाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन आते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। उनका तर्क था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को भी सरकारी सेवा का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भी सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि सरकार की नीति में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं है। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय सरकार या बोर्ड को नीति बनाने का आदेश नहीं दे सकता और न ही उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में कार्यरत माना जा सकता है। फिर भी न्यायालय ने सुझाव दिया कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकती है ताकि कर्मचारियों के पारिवारिक हितों की अनदेखी न हो। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती का अधिकार अनिवार्य नहीं है बल्कि यह प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करता है।

प्रतिलेखन-15

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में निर्णय दिया, जिसमें एक 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बिना रिहाई की संभावना के परिवर्तित किया गया। यह निर्णय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ द्वारा 9 अगस्त 2023 को पारित किया गया। यह मामला 13 अगस्त 2018 को एक 4 वर्षीय बालिका के लापता होने से प्रारंभ होता है। बालिका के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कई घंटों की तलाश के बाद, अभियुक्त की सूचना पर बालिका का शव बरामद किया गया। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366, और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। निचली अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अभियुक्त के पक्ष में नियुक्त अमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। उन्होंने शव की बरामदगी और डीएनए साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, साथ ही यह भी कहा कि अभियुक्त को डीएनए रिपोर्ट के बारे में उचित जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह समाज में एक सामान्य नागरिक की तरह रह रहा था, इसलिए मृत्युदंड अत्यधिक कठोर सजा होगी। न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त की सूचना पर शव की बरामदगी और डीएनए साक्ष्य अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को सिद्ध करते हैं। न्यायालय ने यह भी माना कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत अभियुक्त पर दोषारोपण की धारणा लागू होती है, जिसे अभियुक्त खंडित करने में असफल रहा। सजा के प्रश्न पर, न्यायालय ने "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों के सिद्धांत और सुधार की संभावना पर विचार किया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि अपराध जघन्य था, लेकिन यह मामला मृत्युदंड के लिए उपयुक्त नहीं है। अभियुक्त के सामाजिक पुनर्वास की संभावना को देखते हुए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बिना रिहाई की संभावना के परिवर्तित कर दिया गया। अंततः, न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में संशोधन किया। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बिना रिहाई की संभावना के परिवर्तित किया गया, और अन्य सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और सजा निर्धारण में संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही, इस निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय सजा के दौरान सुधार की संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता और प्रत्येक अपराधी के लिए निष्पक्ष पुनर्विचार आवश्यक है।